न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 24/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/99

अपीलाण्ट्स :–

1. ओमाराम पुत्र श्री मोडाराम
2. गंगाराम पुत्र श्री मोडाराम
3. रमेश पुत्र श्री मोडाराम
4. अर्जुन पुत्र श्री मोडाराम
5. महेन्द्र पुत्र श्री मोडाराम
6. चम्पा बेवा मोडाराम
7. लक्ष्मी पुत्री मोडाराम
8. जेठी पुत्री मोडाराम
9. पुष्पा पुत्री मोडाराम, तमाम जातिगण बावरी, निवासीगण– लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. कुकी देवी पुत्री भोमाराम, पत्नी टीकमजी, जाति बावरी निवासी डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली।
2. कमला पुत्री भोमाराज, पत्नी वनाराम, जाति बावरी, निवासी– बिठुडा, तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली।
3. गीता पुत्री बुधाराम पत्नी सुखाराम, जाति बावरी, निवासी– लाम्बिया तहसील पाली, जिला पाली।
4. चम्पालाल पुत्र श्री बुधाराम
5. जोराराम पुत्र श्री बुधाराम
6. ढलिया पुत्र श्री बुधाराम
7. महेन्द्र पुत्र श्री बुधाराम
8. नथी पत्नी बुधाराम, तमाम जाति बावरी, निवासीगण– लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली।
9. पार्वती पुत्री बुधाराम, पत्नी धर्माराम,, जाति बावरी, निवासी– लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली।
10. मंजू पुत्री बुधाराम, जाति बावरी, निवासी लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली।
11. पुखा पुत्र भोमाराम
12. भीमा पुत्र भोमाराम फौत के विधिक वारिशान
    12/1. छगलाराम पुत्र भीमा
    12/2. घेवर पुत्र भीमा
    12/3. ओमा पुत्र भीमा
    जाति बावरी, निवासी लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली
    12/4. गजरो पुत्री भीमा पत्नी मादाराम जाति बावरी निवासी लाम्बिया तहसील पाली जिला पाली
    12/5. रामी पुत्री भीमा पत्नी अचलाराम जाति बावरी, निवासी मण्डली,, तहसील पाली जिला पाली
13. स्वरूप पुत्र भोमा, जाति बावरी निवासी लाम्बिया, तहसील पाली जिला पाली।
14. सीता पुत्री भोमा पत्नी रूगाराम, जाति बावरी निवासी– गुन्दोज तहसील पाली जिला पाली।
15. तहसीलदार पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 10 व 13, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री झुझांराम परमार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 03.02.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार, पाली के नामान्तरकरण संख्या 1772 दिनांक 31.05.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगायत 10 व 13, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री झुंझाराम परमार वक्त बहस उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 10 रकबा 80 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 12 रकबा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 9 रकबा 5 बिस्वा कुल रकबा 81 बीघा 05 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें अपीलाण्ट के दादा मूलाराम का देहान्त हो गया, उनके पुत्र मोडाराम जो अपीलाण्ट के पिता है, जिन्होने अपने जीवनकाल में खातेदारी की उद्घोषणा का दावा सहायक कलक्टर पाली के यहां पेश कर रखा है जिसमें खातेदार मूला, मानिया पुत्र पनिया के नाम खातेदारी दर्ज रही है लेकिन मनिया पुत्र पनिया का नाम का कोई इस भूमि में कोई सहकृषक नहीं रहा है, राजस्व कर्मचारी की गलती से मनिया पुत्र पनिया लिखा गया है जिसको दूरस्त कराने के लिए खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कर रखा है जो आज भी विचाराधीन है। दावे में बुधाराम पुत्र भोमाजी को पक्षकार इसलिये बनाया था कि वो वादी के कब्जे में जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू था, जिसको रोकने के लिए उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जो दावा लम्बित है। दरमियाने दावा अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत् एक आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को अस्वीकार कर पुनः सहायक कलक्टर पाली के यहां वाद को प्रेषित किया परन्तु आगामी तारीख प्रकट नहीं होने से अपीलाण्ट सहायक कलक्टर के न्यायालय में अनुपस्थित आने पर सहायक कलक्टर द्वारा उक्त वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया परन्तु वाद खारिज होने की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर वाद को पुनः रिस्टोर करने बाबत् अपीलाण्ट द्वारा एक आवेदन सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश किया जिसको स्वीकार कर प्रकरण पुनः रिस्टोर किया गया परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा वाद खारिज व रिस्टोर होने के मध्य की अवधि में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया जो काबिले खारिज है। जैर नामान्तरकरण में रेस्पो. जिसकी वल्दीयत मानाराम की है, वो सरासर गलत है बल्कि ये सभी भोमाराम पुत्र पन्नाजी की संतान है न कि मानाराम पुत्र पन्नाजी की संतान है, जिससे जैर नामान्तरकरण फर्जी व कूटरचित होने से काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय का अभी कोई निर्णय भी रेस्पोडेण्ट के पक्ष में नहीं हुआ है और केवल अदम पैरवी व अदम हाजरी में दावा दो पेशी में ही खारिज कर दिया जिसका सहारा लेकर दो ही दिन में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जबकि ये लोग मानाराम पुत्र पन्नाजी की कोई सन्तान ही नहीं है जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी द्वारा भी दिनांक 13.06.2024 द्वारा भी तहसीलदार पाली को जैर नामान्तरकरण

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

को रिव्यु करने बाबत् निवेदन किया। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध, कूटरचित व फर्जी होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम तो मोडाराम द्वारा सहायक कलक्टर पाली के यहां गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जिसे सहायक कलक्टर पाली ने दिनांक 16.05.2024 को खारिज कर दिया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक पर जैर आराजी से संबंधित किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं था न ही जैर आराजी पर कोई स्थगन आदेश प्रभावी था जिससे जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही दर्ज किया गया है। जैर आराजी मृतक पनिया की खातेदारी की थी और पनिया के देहान्त होने पर उनके कानूनी वारिशान मूलिया, मानीया उर्फ भोमला दोनो जाईन्दा लड़को के नाम दर्ज हुई परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से भोमला के स्थान पर मानिया लिखा गया जबकि भोमला ही मानिया है एवं जैर नामान्तरकरण भी विधि के अनुसार ही स्वीकृत किया गया है जिससे जैर अपील काबिले खारिज है। अतः जैर अपील कूटरचित एवं अविधिक आधारों पर प्रस्तुत होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने, रेस्पोडेण्ट्स के जवाब में वर्णित कथनोपकथन पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में अपीलाण्ट विवादित नामान्तरकरण को इस आधार पर निरस्त कराना चाहता है कि जब वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया उस अवधि के बाद वाद के तमेजवतंजपवद के मध्य की अवधि में जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है अर्थात् वाद अभी पुनः सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलाण्ट द्वारा इस प्रकरण में जो उस स्वयं ने जो वाद दर्ज करवाया है उन्हीं तथ्यों के आधार पर वाद के लम्बित नहीं रहने की अवधि के दौरान जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उसे अपास्त कराना चाहता है।

वस्तुतः जब वाद विचाराधीन है तथा वाद विचाराधीन नहीं रहने की अवधि में कोई नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है तो वाद विचाराधीन होने की स्थिति में उक्त नामन्तरकरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि नामान्तरकरण एक वित्तीय प्रक्रिया है तथा हक अधिकारों का विनिश्चयन वाद में ही उभयपक्षों की विधिवत सुनवाई के बाद होता है। वाद में जो तथ्य विचाराधीन है, उन तथ्यों को अपीलाण्ट ने जो कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया है उसमें निर्धारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक हल्का पटवारी द्वारा जैर नामान्तरकरण गलत भरने एवं उक्त नामान्तरकरण को तमअपमू किये जाने का कथन किया है यह भी वाद में ही अपीलाण्ट अपने साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है एवं उसकी सत्यता का आकलन किया जा सकता है। जहां वाद के अदम हाजरी में खारिज होने एवं तमेजवतंजपवद के मध्य की अवधि में यदि नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है तो उसके लिए विचाराधीन वाद में अपीलाण्ट चाहे तो विधिवत स्थगन आदेश प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

समग्रतः वाद विचाराधीन होने के कारण हम जैर नामान्तरकरण जो कि वाद विचाराधीन नहीं होने एवं स्थगन आदेश नहीं होने के कारण स्वीकृत किया गया है उसे वर्तमान में वाद विचाराधीन होने के कारण सरसरी एवं वित्तीय प्रक्रिया नामान्तरकरण में खारिज नहीं कर सकते। अतएव अपील–अपीलाण्ट सारहीन एवं अविधिक होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली